* मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद *

राज्य सरकार (अनुच्छेद - 163)

* अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी / जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा /

* नियुक्ति (अनुच्छेद - 164) → मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमतदल के नेता के आधार पर राज्यपाल करता है जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है।

* राज्य मंत्रिपरिषद का गठन → मुख्यमंत्री → कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री
इसमे मुख्यमंत्री के साथ निम्न तीन प्रकार के मंत्री होते है।

* राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट का गठन) → इसमें मुख्यमंत्री के केवल कैबिनेट मंत्री होते है।

* मंत्रिपरिषद बड़ा होता है व मंत्रिमण्डल छोटा होता है।

* मंत्रिमण्डल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि राज्य सरकार के समस्त नीतिगत निर्णय इसी के द्वारा लिये जाते है।

* मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है।

* संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित नही थी

* 91 वॉ संशोधन 2003 → इसके द्वारा राज्यमंत्रीपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा

* 25 मार्च 1954 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया
   - गोकुललाल असावा

विधानसभा की सदस्य संख्या - 200 (184 से 200 → छठी विधानसभा में की गई)

कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित कर दी गई है तथा इस आधार पर राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाये जा सकते है मुख्यमंत्री का पद भी इसमे शामिल होता है। (1+29 = 30)

* संसदीय सचिव →

राज्य मे इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है।

- इनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है।
- ये त्याग भी मुख्यमंत्री को देते है।
- इनको पद से भी मुख्यमंत्री हटाता है।
- ये व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते है।
- ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यन्त पद पर रहते है।
- ये विधानसभा सदस्यों में से ही बनाये जाते है।
- इनको राज्यमंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है परन्तु ये मंत्रीपरिषद के सदस्य नही होते।
- इनका कार्य मंत्रियों के कार्यों में सहयोग करना होता है।

* योग्यता —

1. 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो।
2. विधानसभा का सदस्य बनने के योग्यता रखता हो।

* कार्यकाल →

मुख्यमंत्री एंव मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त / 5 वर्ष का ~~वर्ष का~~ होता है।

* त्यागपत्र →

मुख्यमंत्री व मंत्री त्यागपत्र राज्यपाल को देते है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र पूरे मंत्रीपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है।

* शपथ →

राज्यपाल दिलाता है।

* पद से हटाने की प्रक्रिया →

1. मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रीपरिषद को सामूहिक रूप से पद से विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।
2. किसी भी मंत्री को पद से मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल हटाता है।
3. यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रीपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है।

* महत्वपूर्ण तथ्य →

1. मुख्यमंत्री व अन्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी / जवाबदेह होते है। जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी / जवाबदेह होते है।
2. मुख्यमंत्री राज्य के शासन का राजनैतिक प्रधान होता है जबकि एक मंत्री अपने विभाग का प्रधान होता है।
3. यदि मुख्यमंत्री या अन्यमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. राज्य में मुख्यमंत्री व मंत्री दोनों सदनों से ही बनाये जा सकते है।
5. दोनो सदनों के मनोनित सदस्यों को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बनाया जा सकता है।
6. उपमुख्यमंत्री के पद का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है।
7. पंडित हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री थे तथा जयनारायण व्यास दूसरे मनोनित मुख्यमंत्री थे।
8. प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री - टीकाराम पालीवाल
   वर्तमान मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत
   उपमुख्यमंत्री - सचिन पायलट

* 12 फरवरी 1948 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियो के कोटा मे चम्बल किनारे बने रामपुरा घाट पर छोटी समाधि के पास विसर्जित किया था। जिसकी याद मे यहाँ एक शिलालेख भी स्थापित है। चेयरमेन R.K मेहता - ने रामघाट व पिकनिक स्पॉट विकसित करने की घोषणा की। 30 जनवरी 2018 को राष्ट्रपिता गांधी के अस्थि विसर्जन स्थल छोटी समाधि पर डाक विभाग ने लिफाफे का विमोचन किया।

* मुख्यमंत्री की शक्तियाँ →

* मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक प्रधान होता है। तथा राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है।
* मुख्यमंत्री राज्य मंत्रीपरिषद का निर्माता होता है तथा मंत्रीयों की नियुक्ति उनके विभागों का बंटवारा एवं उन्हे पद से हटाने की सलाह राज्यपाल को देता है।
* मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषद एवं राज्यपाल दोनो के बीच की कड़ी होता है।
* मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषद एवं मंत्रीमण्डल दोनों की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
* मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल एवं सरकार का नेता होता है तथा उनका नेतृत्व करता है।
* राज्य के शासन, प्रशासन एवं विधायी कार्यों की सूचना मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को देता है।
* मुख्यमंत्री अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल की सलाह से करता है।

* राज्य विधानमण्डल (अनुच्छेद - 168) *

राज्य विधानमण्डल
- राज्यपाल
- विधानपरिषद (ऐच्छिक सदन)
- विधानसभा (अनिवार्य सदन)

* अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का का एक विधानमण्डल होगा। जिसका गठन एक राज्यपाल व

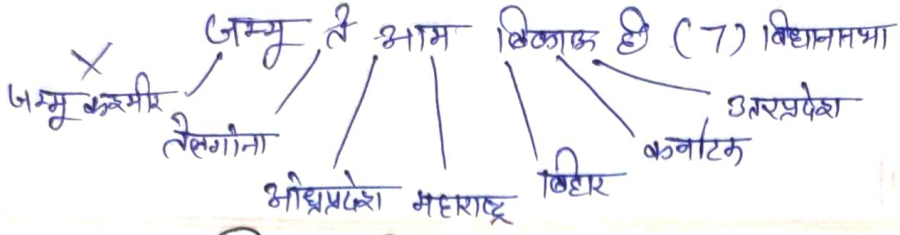

दो सदनो विधानपरिषद एंव विधानसभा से मिलकर होगा। परन्तु विधानपरिषद एक ऐच्छिक सदन है इसका गठन करना या न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है।

* राज्य विधानमण्डल के 3 अंग होते है —
1. राज्यपाल 2. विधानपरिषद 3. विधानसभा

* राज्य विधानमण्डल के 2 अभिन्न अंग है —
1. राज्यपाल 2. विधानसभा

* विधान परिषद अभिन्न अंग नही है क्योंकि इसे समाप्त किया जा सकता है।
* राज्य विधानमण्डल कभी भी एक साथ भंग नही होता केवल विधानसभा भंग होती है।
* अनुच्छेद 174 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है प्रत्येक 5 वर्ष में तो निश्चित रूप से करता है।

* वर्तमान में 6 राज्यो का विधानमण्डल द्विसदनीय है तथा 22 राज्यों का एक सदनीय है।
* राजस्थान का विधानमण्डल भी एक सदनीय है।

* विधानमण्डल का कार्य राज्यों के लिए कानून/विधि का निर्माण करना है।

17 July 2019

* विधानपरिषद (अनुच्छेद - 169) →

* अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद के गठन

इसके गठन का विधेयक सर्वप्रथम राज्य विधानसभा

में विशेष बहुमत से पारित होता है।
* इसके पश्चात संसद में जाती है तो संसद अपने साधारण बहुमत से उस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान कर सकती है।

* विधानपरिषद राज्य का उच्च, द्वितीय, ऐच्छिक, एवं स्थाई सदन है।

* किसी भी राज्य में विधानपरिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का $\frac{1}{3}$ हो सकती है तथा न्यूनतम 40 हो सकती है। (जम्मू कश्मीर 36)

* राजस्थान में इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 66 व न्यूनतम 40 हो सकती है।

* विधानपरिषद के $\frac{1}{6}$ सदस्य मनोनीत व $\frac{5}{6}$ सदस्य निर्वाचित होते है।

* विधानपरिषद के सदस्यो का निर्वाचन *
(अनुच्छेद – 171)

* 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान समाजसेवा एवं सहकारिता के क्षेत्रो से मनोनीत किये जाते है।
* 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते है।
* 1/3 सदस्य स्थानीय इकाइयों द्वारा चुने जाते है।
* 1/12 सदस्य माध्यमिक एवं इसके ऊपर की शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक द्वारा।

* $\frac{1}{2}$ सदस्य 3 वर्ष पूर्व स्नातक किये हुये विद्यार्थियों द्वारा चुने जाते है।
* चुनाव की विधि — आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
* योग्यता → 1. 30 वर्ष की आयु प्राप्त हो। 2. उस राज्य का निवासी हो।

* कार्यकाल :→ विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
2. विधानपरिषद का कार्यकाल स्थाई होता है क्योंकि यह स्थाई सदन है।
3. इसके प्रत्येक 2 वर्ष $\frac{1}{3}$ सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते है तथा उनकी जगह $\frac{1}{3}$ नये चुन लिये जाते है।
4. $\frac{2}{3}$ सदस्य सदैव सदन में बने रहते है।

* त्यागपत्र → सभापति को देते है।

* शपथ → सभापति दिलाता है।

* वर्तमान में निम्न (6) 7 राज्यो में विधानपरिषद है—

1. उत्तरप्रदेश 2. बिहार 3. महाराष्ट्र 4. कर्नाटक
5. जम्मू-कश्मीर 6. सीमांध्र (आंध्रप्रदेश) 7. तेलंगाना

* राजस्थान में असम में विधान परिषद के गठन का विधेयक संसद में प्रस्तुत है।

* विधानपरिषद का सभापति एवं उपसभापति (अनुच्छेद-182)

- इन दोनों का चुनाव विधानपरिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- सभापति को शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- उपसभापति को शपथ सभापति दिलाता है।

- ये दोनों त्यागपत्र एक-दूसरे को देते है।
- इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- सभापति का कार्य विधानपरिषद की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करना होता है। जैसे — बैठके बुलाना, बैठकों का समापतिव करना, बैठकों को स्थगित करना एवं अनुशासन बनाना आदि।

* विधानपरिषद की शक्तियां →

I[st] 1. साधारण विधेयको के संबंध मे राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों की शक्तियां समान है। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते है। तथा एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे में जाते है तो उसे* 3 माह का समय दिया जाता है परन्तु 1 माह का अतिरिक्त समय और दिया जा सकता है अर्थात अधिकतम 4 माह का समय दिया जा सकता है तथा दोनों सदनों से पारित होने के विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है।

2. प्रथम सदन के लिए विधेयको को पारित की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। परन्तु यदि दूसरा सदन 3-4 माह में पारित नहीं करता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है।

II[nd] राज्य में धन, वित्त व विनियोग विधेयको के संबंध में विधानपरिषद की शक्ति अत्याधिक कमजोर है तथा विधानसभा शक्तिशाली है। यह विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते है तथा विधान परिषद को इन्हे पारित करने के लिए मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है और यदि 14 दिन में पारित नहीं करती है तो उसको स्वत: ही पारित समझ लिए जाते है।